फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

सूरजी / जगदीश

केस संख्या : 62/2019

| केस संख्या | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से |
|---|---|---|
| | 23/5/2024 | पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी महोदय कानून व्यवस्था/प्रोटोकॉल ड्यूटी पर गए हुए है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 30/5/2024 को पेश हो। |
| | 30/5/2024 | पत्रावली प्रस्तुत। वकील वादी उपस्थित प्रतिवादी अधिवक्ता अनुपस्थित है। पूर्व आदेशिका। तारीख पेशी पर भी प्रतिवादी अनुपस्थित रहे। पूर्व आदेशिका के अनुपस्थित रहते कुर्रेजात पर गुणावगुण आदेश हेतु लिखा गया था। अतः वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया अतः तहसीलदार रामपुरा-डाबी द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर वाद वादीया डिक्री किया जाता है। निर्णय व डिक्री पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलेक्टर आमेर मु. जयपुर |

Signature Not Verified

Digitally signed by Mithlesh Me
Date: 2024.09.09 12:50:45 IST
Reason: SelfAttested

# न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

**पीठासीन अधिकारी : मिथलेश मीणा**
**आर.ए.एस.**

नियमित वाद संख्या 62/2019 वाद प्रस्तुति दिनांक : 11.07.2019

श्रीमती सूणी देवी धर्मपत्नी श्री मोतीलाल जाति कुम्हार हाल निवासी प्लॉट नंबर 6, सेंट्रल कॉलोनी रोड नंबर 9, के सामने वी. के. आई. जयपुर तहसील व जिला जयपुर।

..... वादी

## बनाम

1. जगदीश पुत्र स्व. प्रभात
2. शंकर लाल पुत्र स्व. प्रभात
3. फूलचंद पुत्र स्व. प्रभात
4. लक्ष्मीनारायण पुत्र स्व. सेडू पुत्र स्व. प्रभात
5. गोरधन लाल पुत्र स्व. सेडू पुत्र स्व. प्रभात
6. बिरधीचंद पुत्र स्व. सेडू पुत्र स्व. प्रभात
7. प्रहलाद पुत्र स्व. सेडू पुत्र स्व. प्रभात
   समस्त जाति कुम्हार निवासी खोराबीसल चौधरी की ढाणी तहसील आमेर जिला जयपुर।
8. मोहरा देवी पुत्री स्व. सेडूराम पत्नी पप्पू जी जाति कुम्हार निवासी भीलपुरा कुम्हारों की ढाणी तहसील आमेर जिला जयपुर।
9. मनभरी देवी धर्मपत्नी स्व. सेडूराम जाति कुम्हार निवासी खोराबीसल चौधरी की ढाणी तहसील आमेर जिला जयपुर।
10. राकेश पुत्र चौथमल
11. राजीव पुत्र चौथमल
    समस्त जाति कुम्हार निवासी सी 268 अरावली विहार कॉलोनी वी के आई रोड नंबर 9 के सामने जयपुर तहसील व जिला जयपुर।
12. मधू पुत्री चौथमल धर्मपत्नी बनवारी लाल जाति कुम्हार निवासी गुढा सुर्जन तहसील आमेर जिला जयपुर।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर जिला जयपुर।
14. उप पंजीयक कार्यालय आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।

.....प्रतिवादीगण

**वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत – 53, 188 अन्तर्गत अधिनियम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955**

उपस्थिति :– (1) श्री महेश चन्द शर्मा – वादी की ओर से
(2) प्रतिवादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Mithlesh Mee
Date: 2024.09.09 12:30:45 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 30.05.20

हस्तगत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वाके ग्राम खोराबीसल, पटवार क्षेत्र खोराबीसल, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खोराबीसल, तहसील आमेर, जिला जयपुर में स्थित आराजी कृषि भूमि खसरा नंबर 421 रकबा 0.77 हैक्टेयर, खसरा नंबर 422 रकबा 0.49 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.26 हैक्टेयर भूमि वादग्रस्त भूमि है। वादग्रस्त आराजी वादिया के पिता प्रभात पुत्र गंगू कुम्हार के नाम से राजस्व

सहायक कलक्टर
आमेर, जयपुर

भू–अभिलेखों में दर्ज चली आई है। वादिया के पिता प्रभात का स्वर्गवास होने के पश्चात् जरिये नामान्तकरण संख्या 697 दिनांक 07.01.2019 के द्वारा उनके वारिसान वादिया व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 12 के नाम से खातेदारी राजस्व भू अभिलेखों में दर्ज हुई है। वादिया मृतक खातेदार की पुत्री व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 पुत्र है। प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 9 मृतक खातेदार के स्व. पुत्र सेडूराम के वारिसान है एवं प्रतिवादी संख्या 10, 11, 12 मृतक खातेदार प्रभात की स्व. सुशीला देवी के वारिसान है। वादग्रस्त आराजीयात में वादिया का 1/6 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 9 का 1/6 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 10, 11, 12 का 1/6 हिस्सा है। वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 12 वादग्रस्त आराजीयात् के सहखातेदार काश्तकार है जो वादग्रस्त आराजीयात पर काबिज होकर काश्त कर, काश्त एवं प्राकृतिक उपज का उपयोग उपभोग करते एवं लगान की अदायगी करते चले आ रहे हैं। वादग्रस्त आराजीयात वादिया व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 12 की सहखातेदारी की कृषि भूमि है। जिसका आज तक विभाजन नहीं हुआ है।

प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 वादिया के भाई है एवं प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 9 वादिया के स्व. भ्राता सेडूराम के वारिसान है जिनके मन में बेईमानी आ गई है। तथा वो वादग्रस्त आराजीयात को भूखण्डों में विक्रय कर क्रेताओं का मनचाहे स्थान पर अच्छी–अच्छी जमीनों पर कब्जा कराने व वादिया को उसके हक अधिकारों से महरूम करने पर उतारू है। जिस क्रम में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 कुछ अनजान क्रेताओं को आराजी दिखाने के लिए मौके पर उनको लेकर दिनांक 02.07.2019 को आये जो विक्रय के बारे में बाते कर रहे थे जिस पर वादिया ने प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 वादिया से झगडा करने पर उतारू हो गये तथा वादिया का वादग्रस्त आराजीयात में हिस्सा होने से इंकार कर दिया एवं शीघ्र वादग्रस्त आराजीयात को विक्रय कर क्रेताओं का कब्जा कराकर निर्माण करवाने की धमकी दी जिस कारण वादिया को प्रस्तुत वाद बाबत् विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

वाद प्रस्तुति के उपरान्त प्रकरण नियमानुसार दर्ज पंजिका किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण आदेशित किया गया। प्रतिवादी संख्या 6 व 8 लगायत 12 बावजूद तामील नोटिस अनुपस्थित रहने पर दिनांक 18.11.2019 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई तथा प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4, 5 व 7 को जवाब प्रस्तुत करने हेतु कई अवसर दिये गये। जवाब पेश नहीं करने पर दिनांक 18.11.2019 को जवाब का अवसर बंद किया गया।

प्रतिवादी संख्या 3 ने जवाब दावा प्रस्तुत किया गया जिसमें प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से जवाब दावा में वादपत्र के मद नंबर 1 में आराजी खसरा नंबर 421 रकबा 0.77 हैक्टेयर व खसरा नंबर 422 रकबा 0.49 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.26 हैक्टेयर वाके ग्राम खोराबीसल पटवार हल्का खोराबीसल तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित होने पर विवाद नहीं है परंतु इस मद में यह अंकित नहीं किया [illegible] भूमि किसके नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। वादपत्र की [illegible] गया है गलत होने से अस्वीकार है। वादग्रस्त आराजी के प्रभात पुत्र [illegible] राजस्व भू अभिलेखों में दर्ज होने पर विवाद नहीं है। वदी के पिता प्रभात के [illegible] होना मात्र स्वीकार हैं साथ ही यह भी स्वीकार है कि वादिया मृतक खातेदार की [illegible] व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 पुत्र है तथा प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 9 मृतक खातेदार प्रभात के स्वर्गीय पुत्र सेडूराम के वारिसान है एवं प्रतिवादी संख्या10, 11, 12, मृतक खातेदार प्रभात की स्वर्गीय पुत्री सुशीला देवी के वारिसान है। वादपत्र की मद संख्या 3 जिस प्रकार लिखा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mithlesh M
Date: 2024.09.09 12:50:45 IS
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

गया है गलत होने से अस्वीकार है। इस मद में वर्णितानुसार वादिया का वादग्रस्त संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं है क्योंकि वादिया प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पिता स्वर्गीय प्रभात ने वादिया के हिस्से अनुसार उसके शादी ब्याह में खर्चा कर दिया व कुछ रूपया एकमुश्त देकर उनका हिस्सा समाप्त कर दिया गया और वर्तमान में वादिया का किसी प्रकार का कोई हिस्सा नहीं है और ना ही वादिया किसी प्रकार का कोई हिस्सा खसरा नंबर 421 व 422 में प्राप्त करने अधिकारिणी है। वादिया विवाह के पश्चात अपनी ससुराल रहने लग गई थी और वर्तमान में भी वादिया का प्रतिवादीगण के घर कोई आना जाना नहीं है। वादिया प्रतिवादीगण के साथ सहखातेदार नहीं है और वादिया के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई लगान आज दिवस तक नहीं दिया गया है। जो कि भी लगान जमा करवाया जाता है वह प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के द्वारा ही जमा करवाया जाता है। वादग्रस्त आराजीयात वादिया की नहीं है तथा वादिया किसी प्रकार का विभाजन करवाने का अधिकारिणी नहीं है। वाद पत्र की मद नंबर 4 जिस प्रकार लिखा गया है गलत होने से अस्वीकार है। वादिया यह कहना कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 के मन में बेईमानी आ गई है तथा वो वादग्रस्त आराजीयात को भूखण्डों में विक्रय कर क्रेताओ को मनचाहे स्थान पर अच्छी अच्छी जमीनों पर कब्जा कराने व वादिया को उसके हक अधिकारों से महरूम करने पर उतारू है एकदम मिथ्या है। वास्तविकता यह है कि स्वर्गीय प्रभात ने अपने जीवनकाल में खसरा नंबर 421 व 422 में से 4 बीघा भूमि कांट आदर्श गृह निर्माण सहकारी समिति व खोरामीणा गृह निर्माण सहकारी समिति को विक्रय कर दी थी जिस पर प्लॉट काटकर सहकारी समिति द्वारा प्लॉट विक्रय कर दिये गये और लोगों को कब्जा संभला दिया गया तथा वर्तमान में पट्टेधारियों का ही कब्जा है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 द्वारा अनजान क्रेताओं को दिनांक 02–07–2019 को मौके पर लाने व विक्रय करने का कथन मिथ्या है। जब वादिया मौके पर निवास ही नहीं करती है तो वादिया को दिनांक 02–07–2019 को मौके पर कुछ लोगों के आने व विक्रय की बात करने की जानकारी होने का कथन मिथ्या है तथा वादिया द्वारा यह कथन भी अंकित किया गया है कि उसे उक्त तथ्य की जानकारी कैसे हुई। वादिया द्वारा कभी भी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 को वादग्रस्त आराजी का विभाजन कराकर विक्रय करने बाबत कभी भी नहीं कहा गया तथा ना ही प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 द्वारा वादिया से झगडा किया गया तथा ना ही किसी प्रकार की कोई धमकी दी गई तथा वादिया ने झूंठे, मिथ्या व मनगढंत कथनों के आधार पर दावा प्रस्तुत किया है जिसका कि वादिया को कतई अधिकार नहीं है तथा इस मद में वर्णित कथनों को वादिया स्वयं साबित करें। वाद पत्र की मद संख्या 5 में जिस प्रकार लिखा गया है गलत होने से अस्वीकार है। खसरा नंबर 421 व 422 की 4 बीघा भूमि जब वादिया के पिता स्वर्गीय प्रभात द्वारा अपने जीवनकाल में सोसाईटी को बेच दी गई और उस पट्टे काटकर पट्टेधारियों को कब्जा दे दिया गया तो अब क्रेताओं को विक्रय करने को मनचाहे स्थान पर कब्जा कराकर निर्माण कराने का कथन मिथ्या है तथा इस समस्त तथ्य की जानकारी वादिया को जमीन बेचे जाने के समय से रही है। वादिया को जमीन विक्रय करते समय वादिया के पिता द्वारा रूपये दिये गये थे तथा वादिया के विवाह आदि में खर्चा भी किया गया था इसलिए अब वादिया किसी प्रकार का कोई हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है। इस मद में वर्णितानुसार वादियों के अधिकारों पर कोई कुठारघात नही होगा तथा ना ही वादिया को कोई क्षति होगी। वाद पत्र की मद संख्या 6 जिस प्रकार लिखा गया है गलत होने से अस्वीकार है। वादिया का वादग्रस्त आरजीयात में कोई हक व हिस्सा नहीं है तथा वादिया बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन कराने व प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने की अधिकारिणी नहीं है। वाद पत्र की मद संख्या 7 जिस प्रकार लिखा गया है गलत होने से अस्वीकार है। वादिया को काई वाद कारण दिनांक 02–07–2019 को प्राप्त नहीं हुआ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mithlesh
Date: 2024.09.09 12:50:45 I
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

वादीया की ओर से जवाब उल जवाब पेश किया गया जिसमें अंकित किया की वादीगण व प्रतिवादी के पिता प्रभात ने अपने पुत्रों व दो पुत्रियों का विवाह अपने हैसियत के अनुसार किया है और अपने पुत्र पुत्रियों का विवाह करना एक पिता का दायित्व भी होता है। प्रतिवादी का यह कथन कि वादीया के हिस्से अनुसार उसके शादी विवाह में खर्च कर दिया व कुछ रूप्या एकमुश्त देकर उनका हिस्सा समाप्त कर दिया गया। पूर्णतः असत्य व मनगढंत है। वादीया का वादगसत आराजी खसरा नम्बर 421 व 422 में 1/6 हिस्सा है तथा वो वादग्रस्त आराजी का विभाजन कराकर अपने 1/6 हिस्से की खातेदारी व लगान अलग से निर्धारित करवाने की अधिकारिणी है। वादीया के पिता प्रभात ने अपने जीवनकाल मे खसरा नबर 421 व 422 में से खोरामीणा गृह निर्माण सहकारी समिति या अन्य किसी को विक्रय नही की है। जब वादीया पिता ने वादग्रस्त भूमि विक्रय ही नही की है [redacted] सोसायटी द्वारा प्लोट विक्रय कर पटटेधारियो को कब्जा संभलाने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। वादीया के पिता प्रभात की विरासत का नामान्तकरण संख्या 697 दिनांक 07.01.2019 को उसके वारिसान के नाम से तस्दीक किया गया है यदि वादीया का पिता वादग्रस्त आराजी विक्रय कर देता तो विरासत का नामन्तकरण तस्दीक नहीं होता। वादीया का वादग्रस्त आराजी में 1/6 हिस्सा है तथा वो सहकाश्तकार है तथा वादग्रस्त आराजी का विभाजन कराने व प्रतिवादी को निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने की पूर्ण अधिकारी है।

वादी व प्रतिवादी संख्या 3 के जवाब आने के उपरान्त तनकीयात कायम की गई जो की इस प्रकार से है।

1. आया वादिया भूमि खसरा नंबर 421 रकबा 0.77 है0, 422 रकबा 0.49 है0 वाके ग्राम खोराबीसल तहसील आमेर जिला जयपुर का स्वयं एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 12 के मध्य बाई मिटस एण्ड बाउण्डस विभाजन करवा स्वयं के 1/6 हिस्से की खातेदारी व लगान अलग से निर्धारित करवाने की अधिकारिणी है ?

.....वादिया

2. आया वादिया प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद करवाने की अधिकारिणी है कि वे वादग्रस्त आराजीयात का किसी भी प्रकार से रहन, व्यय मुन्तकिल न करें,वादी को वादग्रस्त आराजीयात से बेदखल करने का कृत्य न करें ?

.....वादिया

3. आया वादिया का वादग्रस्त संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं है क्योंकि वादिया प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पिता स्व. प्रभात ने वादिया के हिस्से अनुसार उसके शादी ब्याह में खर्चा कर दिया व कुछ रूपया एकमुश्त देकर उनका हिस्सा समाप्त कर दिया गया और वर्तमान में वादिया का किसी प्रकार का कोई हिस्सा नहीं है और न ही अधिकारिणी है ?

.....प्रतिवादी सं0 3

4. आया वादिया का वाद कारण उत्पन्न हुए बिना ही पेश किया गया हैं। अतः वाद कारण के अभाव में वादिया का वाद खारिज करने योग्य है ?

.....प्रतिवादी सं0 3

5. दादरसी ?

Signature Not Verified
Digitally signed by Mithlesh Meena
Date: 2024.09.09 12:30:45 IST
Reason: SelfAttested

तदुपरान्त साक्ष्य वादी हेतु वादी पक्ष द्वारा PW-1 सुणी देवी पत्नी मोतीलाल जाति कुम्हार एवं PW-2 मोतीलाल पुत्र [redacted] गंगाराम साक्ष्य को प्रस्तुत कर परीक्षित करवाया। अभिलेख साक्ष्य में जमाबंदी संवत 2076–2079 दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

प्रतिवादीगण को साक्ष्य वादी से जिरह करने के लिए कई अवसर दिये गये बावजूद प्रतिवादीगण ने साक्ष्य वादी से जिरह नहीं की फलस्वरूप दिनांक 28.07.2022 को जिरह का अवसर बंद किया गया। प्रतिवादीगण को साक्ष्य पेश करने के अवसर दिये गये परन्तु साक्ष्य पेश नही किये अतः दिनांक 07.02.2023 को साक्ष्य प्रतिवादी बंद किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 अनुपस्थित रहने पर दिनांक 03.07.2023 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

वादीया अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई तथा तनकीयात् निम्नानुसार निर्णित की गई।

1. आया वादिया भूमि खसरा नंबर 421 रकबा 0.77 है0, 422 रकबा 0.49 है0 वाके ग्राम खोराबीसल तहसील आमेर जिला जयपुर का स्वयं एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 12 के मध्य बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन करवा स्वयं के 1/6 हिस्से की खातेदारी व लगान अलग से निर्धारित करवाने की अधिकारिणी है ?

.................वादिया

वादीया विवादित भूमि की रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अपनी निहित खातेदारी भूमि में निहित हिस्सा अनुसार विधिवत विभाजन कराने का कानूनी रूप से अधिकार प्राप्त है। जिसे वादीया ने वाद पत्र से व गवाह साक्ष्य व प्रस्तुत जमाबंदी से साबित/सिद्ध किया है। फलस्वरूप तनकी संख्या 1 वादिया के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

2. आया वादिया प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद करवाने की अधिकारिणी है कि वे वादग्रस्त आराजीयात का किसी भी प्रकार से रहन, व्यय मुन्तकिल न करें,वादी को वादग्रस्त आराजीयात से बेदखल करने का कृत्य न करें ?

.....................वादिया

वादिया विवादित भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। वह अपने हिस्से की भूमि के संरक्षण के लिए प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने की अधिकारी है जिसे वादिया ने अपने वादपत्र, जमाबंदी, व गवाह शपथ में साबित किया है। फलस्वरूप तनकी संख्या 2 वादिया के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

3. आया वादिया का वादग्रस्त संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं है क्योंकि वादिया प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पिता स्व. प्रभात ने वादिया के हिस्से अनुसार उसके शादी ब्याह में खर्चा कर दिया व कुछ रूपया एकमुश्त देकर उनका हिस्सा समाप्त कर दिया गया और वर्तमान में वादिया का किसी प्रकार का कोई हिस्सा नहीं है और न ही अधिकारिणी है ?

................प्रतिवादी सं0 3

4. आया वादिया का वाद कारण उत्पन्न हुए बिना ही पेश किया गया हैं। अतः वाद कारण के अभाव में वादिया का वाद खारिज करने योग्य है ?

................प्रतिवादी सं0 3

सुविधा की दृष्टि से तनकी संख्या 3 व 4 एकसाथ निर्णित की जा रही है। तनकी संख्या 1 व 2 वादी के पक्ष में निर्णित होने से [illegible]ण की एक पक्षीय कार्यवाही की जा चुकी है, प्रतिवादीगण ने ना ही मूल में कोई [illegible] व [illegible] पेश किये है। अतः साक्ष्य व सबूत के अभाव में तनकी संख्या 3 व 4 प्रतिवादीगण के [illegible] निर्णित की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mithlesh Meena
Date: 2024.09.09 12:50:45 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्तानुसार तनकी संख्या 1 लगायत [illegible] वादीया के पक्ष में निर्णित होने से वादीया वाद को मीट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर डिक्री किया गया, व कुर्रेजात रिपोर्ट हेतु तहसीलदार आमेर को तहरीर जारी की गई। तदनुसार तहसीलदार आमेर

को निर्देशित किया गया कि वे राज0 टीनेन्सी (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू) रुल्स के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए आराजी वाके ग्राम खोराबीसल पटवार हल्का खोराबीसल तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित खसरा नंबर 421 रकबा 0.77 हैक्टेयर खसरा नंबर 422 रकबा 0.49 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.26 हैक्टेयर का बाई मीट्स एंड बाउंड्स के आधार पर विधिक विभाजन जमाबन्दी में अंकित हिस्से अनुसार पक्षकारान को नोटिस देकर उनकी उपस्थिति में कुर्रेजात प्रस्ताव मय नक्शा शीट तीन प्रतियों में आगामी तारीख पेशी दिनांक 24.08.2023 से पूर्व प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

तहसीलदार रामपुरा डाबडी जिला जयपुर ग्रामीण से कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हुई। कुर्रेजात रिपोर्ट पर वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट वाद डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया। फलस्वरूप तहसीलदार आमेर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर वादपत्र को निम्न प्रकार अंतिम डिक्री किया जाता है:–

1. सूणी देवी पुत्री प्रभात हि0 संपूर्ण जाति कुम्हार (प्रजापति) सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 422/2 रकबा 0.0728 हैक्टेयर बारानी कुल किता 1 कुल रकबा 0.0728 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में काले रंग में दर्शाया गया है।
2. गोर्वधन लाल पुत्र सेडूराम हि0 121/3642 सा. देह खातेदार, जगदीश पुत्र प्रभात हि0 729/3642 जाति कुम्हार (प्रजापति) सा. देह खातेदार, प्रहलाद पुत्र सेडूराम हि0 121/3642 जाति कुम्हार सा. देह खातेदार, फूलचंद पुत्र प्रभात हि0 729/3642 जाति कुम्हार सा. देह खातेदार, बिरदीचंद पुत्र सेडूराम हि0 121/3642 जाति कुम्हार सा. देह खातेदार, मधु पुत्री चौथूराम हि0 243/3642 जाति कुम्हार सा. जैतपुर खींची तहसील आमेर खातेदार, मनभरी देवी पत्नी सेडूराम हि0 121/3642 जाति कुम्हार सा. देह खातेदार, मोहरा देवी पुत्री सेडूराम हि0 121/3642 जाति कुम्हार सा. देह खातेदार, राकेश पुत्र चौथूराम हि0 243/3642 जाति कुम्हार सा. जैतपुर खींची तहसील आमेर सा. देह खातेदार, राजीव पुत्र चौथूराम हि0 243/3642 जाति कुम्हार सा. जैतपुरा खींची तहसील आमेर, लक्ष्मी नारायण पुत्र सेडूराम हि0 121/3642 जाति कुम्हार सा. देह खातेदार, शंकरलाल पुत्र प्रभात हि0 720/3642 जति कुम्हार सा. देह खातेदार के हिस्से खसस नंबर 422/1 रकबा 0.1844 हैक्टेयर बा. 3 व खसरा नंबर 422/3 रकबा 0.1798 हैक्टेयर बा. 3 कुल किता 2 कुल रकबा 0.3642 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में हरे रंग से दर्शाया गया है।
3. गोवर्धन लाल पुत्र सेडूराम हि0 1/36 जाति कुम्हार प्रजापति सा. देह खातेदार, जगदीश पुत्र प्रभात हि0 1/6 जाति कुम्हार प्रजापति सा. देह खातेदार, प्रहलाद पुत्र सेडूराम हि0 1/36 जाति कुम्हार प्रजापति सा. देह खातेदार, फुलचंद पुत्र प्रभात हि0 1/6 जाति कुम्हार प्रजापति सा. देह खातेदार, बिदरीचंद पुत्र सेडूराम हि0 1/36 जाति कुम्हार प्रजापति सा. देह खातेदार, मधु पुत्री चौथूराम हि0 1/18 जाति कुम्हार प्रजापति सा. जैतपुरा खींची तहसील आमेर खातेदार, मनभरी देवी पत्नी सेडूराम हि0 1/36 जाति कुम्हार (प्रजापति) सा. देह खातेदार, मोहरा देवी पुत्री सेडूराम हि0 1/36 जाति कुम्हार (प्रजापति) सा. देह खातेदार, राकेश पुत्र चौथूराम हि0 1/18 जाति कुम्हार (प्रजापति) सा. जैतपुर खींची तहसील आमेर सा. देह खातेदार, राजीव पुत्र चौथूराम हि0 1/18 जाति कुम्हार (प्रजापति) सा. जैतपुर खींची तहसील आमेर खातेदार, लक्ष्मीनारायण पुत्र सेडूराम हि0 1/36 जाति कुम्हार (प्रजापति) सा. देह खातेदार, शंकरलाल पुत्र प्रभात हि0 1/6 जाति कुम्हार (प्रजापति) सा. देह खातेदार, सूणी देवी पुत्री प्रभात हि0 1/6 जाति कुम्हार सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 421 रकबा 0.77 हैक्टेयर बा. 3, खसरा नंबर 422/4 रकबा 0.053 हैक्टेयर बा. 3 कुल किता 2 कुल रकबा 0.823 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में लाल/महरून रंग से दर्शाया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mithlesh Meena
Date: 2024.09.09 12:50:45 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

अतः वादीया का वाद मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट डिक्री किया जाता है। उभयपक्ष मुताबिक निर्णय अनुसार एक दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेंगे। अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली निर्णित शुमार की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Mithlesh Meena
Date: 2024.09.09 12:30:45 IST
Reason: SelfAttested

# अंतिम डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

**(ऑं 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)**

**अज अदालत सहायक कलक्टर आमेर, मु0 जयपुर**

पीठासीन अधिकारी **मिथलेश मीणा (आर.ए.एस)**

नियमित वाद संख्या 62/2019 वाद प्रस्तुति दिनांक : 11.07.2019

श्रीमती सूणी देवी धर्मपत्नी श्री मोतीलाल जाति कुम्हार हाल निवासी प्लॉट नंबर 6, सेंट्रल कॉलोनी रोड नंबर 9, के सामने वी. के. आई. जयपुर तहसील व जिला जयपुर।

......... वादी

**बनाम**

1. जगदीश पुत्र स्व. प्रभात
2. शंकर लाल पुत्र स्व. प्रभात
3. फूलचंद पुत्र स्व. प्रभात
4. लक्ष्मीनारायण पुत्र स्व. सेडू पुत्र स्व. प्रभात
5. गोरधन लाल पुत्र स्व. सेडू पुत्र स्व. प्रभात
6. बिरधीचंद पुत्र स्व. सेडू पुत्र स्व. प्रभात
7. प्रहलाद पुत्र स्व. सेडू पुत्र स्व. प्रभात
   समस्त जाति कुम्हार निवासी खोराबीसल चौधरी की ढाणी तहसील आमेर जिला जयपुर।
8. मोहरा देवी पुत्री स्व. सेडूराम पत्नी पप्पू जी जाति कुम्हार निवासी भीलपुरा कुम्हारों की ढाणी तहसील आमेर जिला जयपुर।
9. मनभरी देवी धर्मपत्नी स्व. सेडूराम जाति कुम्हार निवासी खोराबीसल चौधरी की ढाणी तहसील आमेर जिला जयपुर।
10. राकेश पुत्र चौथमल
11. राजीव पुत्र चौथमल
    समस्त जाति कुम्हार निवासी सी 268 अरावली विहार कॉलोनी वी के आई रोड नंबर 9 के सामने जयपुर तहसील व जिला जयपुर।
12. मधू पुत्री चौथमल धर्मपत्नी बनवारी लाल जाति कुम्हार निवासी गुढा सुर्जन तहसील आमेर जिला जयपुर।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर जिला जयपुर।
14. उप पंजीयक कार्यालय आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।

..........प्रतिवादीगण

**वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा**

**अंतर्गत धारा– 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

निर्णय दिनांक 30.05.2024

Signature Not Verified
Digitally signed by Mithlesh Meena
Date: 2024.09.09 12:50:45 IST
Reason: SelfAttested

मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट वादपत्र को निम्न प्रकार अंतिम [illegible] जाता है:–

1. सूणी देवी पुत्री प्रभात हि0 संपूर्ण जाति कुम्हार (प्रजापति) सा. [illegible] के हिस्से खसरा नंबर 422/2 रकबा 0.0728 हैक्टेयर बारानी [illegible] रकबा 0. 0728 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में महरून रंग में दर्शा[illegible]या है।

2. गोर्वधन लाल पुत्र सेडूराम हि0 121/3642 सा. देह खातेदार, जगदीश पुत्र प्रभात हि0 729/3642 जाति कुम्हार (प्रजापति) सा. देह खातेदार, प्रहलाद पुत्र सेडूराम हि0 121/3642 जाति कुम्हार सा. देह खातेदार, फूलचंद पुत्र प्रभात हि0 729/3642 जाति

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

कुम्हार सा. देह खातेदार, बिरदीचंद पुत्र सेडूराम हि0 121/3642 जाति कुम्हार सा. देह खातेदार, मधु पुत्री चौथूराम हि0 243/3642 जाति कुम्हार सा. जैतपुर खींची तहसील आमेर खातेदार, मनभरी देवी पत्नी सेडूराम हि0 121/3642 जाति कुम्हार सा. देह खातेदार, मोहरा देवी पुत्री सेडूराम हि0 121/3642 जाति कुम्हार सा.देह खातेदार, राकेश पुत्र चौथूराम हि0 1/8 जाति कुम्हार सा. जैतपुर खींची तहसील आमेर सा. देह खातेदार, राजीव पुत्र चौथूराम हि0 1/18 जाति कुम्हार (प्रजापति) सा. जैतपुर खींची तहसील आमेर खातेदार, लक्ष्मी नारायण पुत्र सेडूराम हि0 121/3642 जाति कुम्हार सा. देह खातेदार, शंकरलाल पुत्र प्रभात हि0 720/3642 जाति कुम्हार सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 422/1 रकबा 0.1844 हैक्टेयर बा.3 व खसरा नंबर 422/3 रकबा 0.1798 हैक्टेयर बा. 3 कुल किता 2 कुल रकबा 0.3642 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में हरे रंग से दर्शाया गया है।

3. गोवर्धन लाल पुत्र सेडूराम हि0 1/36 जाति कुम्हार प्रजापति सा. देह खातेदार, जगदीश पुत्र प्रभात हि0 1/6 जाति कुम्हार प्रजापति सा. देह खातेदार, प्रहलाद पुत्र सेडूराम हि0 1/36 जाति कुम्हार प्रजापति सा. देह खातेदार, फुलचंद पुत्र प्रभात हि0 1/6 जाति कुम्हार प्रजापति सा. देह खातेदार, बिदरीचंद पुत्र सेडूराम हि0 1/36 जाति कुम्हार प्रजापति सा. देह खातेदार, मधु पुत्री चौथूराम हि0 1/18 जाति कुम्हार प्रजापति सा. जैतपुरा खींची तहसील आमेर खातेदार, मनभर पत्नी सेडूराम हि0 1/36 जाति कुम्हार (प्रजापति) सा. देह खातेदार, मोहरा देवी पुत्री सेडूराम हि0 1/36 जाति कुम्हार (प्रजापति) सा. देह खातेदार, राकेश पुत्र चौथूराम हि0 1/8 जाति कुम्हार (प्रजापति) सा. जैतपुर खींची तहसील आमेर खातेदार, राजीव पुत्र चौथूराम हि0 1/18 जाति कुम्हार (प्रजापति) सा. जैतपुर खींची तहसील आमेर खातेदार, लक्ष्मीनारायण पुत्र सेडूराम हि0 1/36 जाति कुम्हार (प्रजापति) सा. देह खातेदार, शंकरलाल पुत्र प्रभात हि0 1/6 जाति कुम्हार (प्रजापति) सा. देह खातेदार, सूणी देवी पुत्री प्रभात हि0 1/6 जाति कुम्हार सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 421 रकबा 0.77 हैक्टेयर बा. 3, खसरा नंबर 422/4 रकबा 0.053 हैक्टेयर बा. 3 कुल किता 2 कुल रकबा 0.823 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में काले रंग से दर्शाया गया है।

उभयपक्ष मुताबिक निर्णय अनुसार एक दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेंगे।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 30.05.2024 को जारी किया ।

दस्तखत ——
ओहदा ——

Signature Not Verified
Digitally signed by Mithlesh Meena
Date: 2024.09.09 12:50:45 IST
Reason: SelfAttested

| मुददई | रूपये | पैसे | मुददायलह | रूपये | |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | 2 रूपये | – | स्टाम्प अर्जी दावा | 2 रूपये | |
| स्टाम्प वकालतनामा | 2 रूपये | | स्टाम्प वकालतनामा | 2 रूपये | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | | स्टाम्प वजह सबूत | | |
| महन्ताना वकील | | | महन्ताना वकील | | |
| खर्चा गवाहन | | | खर्चा गवाहन | | |
| फीस कमिश्नर | | | फीस कमिश्नर | | |
| बबत् इजराय हुक्मानामा | | | बबत् इजराय हुक्मानामा | | |
| मुतफरित | 4 रूपये | | मुतफरित | 4 रूपये | |
| मीजान | | | मीजान | | |